

Handwritten text at the top right of the page.

Main body of handwritten text in Gurmukhi script, containing a detailed account or record.

-6-

Handwritten signature and date: "Sunder Dasgupta 12/1/82"



OTAPYREGD. NO. 2220
SOV. OF JHARKHAND
KOPHAR JHARKHAND

20/05/2019

1. 10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-

1. 10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-

1. 10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-

1. 10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-

1. 10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-

Handwritten text at the top right, possibly a date or reference number.

Handwritten text at the top center, possibly a title or header.

ATTESTED
NOTARY (REGD. NO. 2222)
GOVT. OF JHARKHAND

Handwritten text block 1, containing several lines of text.

Handwritten text block 2, containing several lines of text.

Handwritten text block 3, containing several lines of text.

Handwritten text block 4, containing several lines of text.

Handwritten signature and date: 13/7/82

Handwritten signature at the top right of the page.

Handwritten text: 13. 11/15 14/15 15/15 16/15

Handwritten text: 17. 18/15 19/15 20/15 21/15

Handwritten text: 22. 23/15 24/15 25/15 26/15

ATTESTED
18.5.21
NOTARY/REGD. NO. 2015
S.O. OF JHARKHAND
KODWAR JHS

Handwritten text: 1. 2/15 3/15 4/15 5/15

Handwritten text block containing multiple lines of text, possibly a list or a set of instructions, including numbers and dates.

Handwritten signature or name at the end of the first section.

Handwritten text block containing multiple lines of text, possibly a list or a set of instructions, including numbers and dates.

Handwritten signature and name at the bottom left of the page.

Patrol Penon

NOTARY (REGD. NO. 2251)
SOV. OF JHARKHAND
28.11.84
ATTESTED

13/11/84

James Lewis
Patrol Penon

Patrol Penon
K. N. B. Juma Burook
13.11.84
Patrol Penon

Patrol Penon
13/11/84

Patrol Penon
13/11/84
Patrol Penon
13/11/84
Patrol Penon
13/11/84
Patrol Penon
13/11/84

Patrol Penon
13/11/84

Notarail Kumar

NOTARIALIZED NO. 225/2021
GOVT. OF JHARKHAND
ATTESTED
1

संतोष कुमार सिंह उम्र-50 वर्ष, पिता- श्री विमल कान्त सिंह, जाति- राजपूत, पेशा- व्यवसाय, निवास स्थान- मकान नं० 661 (K) भागलपुर रोड, ब्लॉक हाई स्कूल के सामने, थाना-गाँवडा, तालुका-गाँवडा, जिला-गाँवडा (झारखण्ड), आभार नं०- 454560840638, पैन नं०- AISPS7040L, मोबाईल नं०- 9939163700, के माध्यम से सत्यापित किया जाना है। उक्त बहुमंजिला इमारत का नाम पंकज अपार्टमेंट के नाम से जाना जाएगा।

यह

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 12-04-2021 श्रीमति माला उम्र-60 वर्ष पति का नाम- श्री निरुपम कुमार सिंह, जाति-राजपूत, पेशा- घर गृहस्थी वगैरह निवास स्थान- ग्राम-ढून्, पंच-ढून्, थाना वी सबडीवीजन वी निबंधन कार्यालय जमुई, जिला-जमुई वर्तमान निवास स्थान- जसीडीह (एकन्स्ट्रुआईड गोदाम के निकट), थाना-जसीडीह निबंधन कार्यालय वी जिला-देवघर (झारखण्ड) पिन सं०- 814142, पैन- AMIPM4276G आभार नं०- 645037261885 जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम सत्यापित किया गया है। (जी शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक विवेक उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है। पंच नं०- 9431649960

NOTARY
Ramesh Das
L. No.-723/16
District
Deoghar
GOVT. OF JHARKHAND


Book No. 12/2021
Date 12/04/2021
Smt. M. R. Smt.
Sl. No. 157

झारखण्ड JHARKHAND

NOTARY
Ramesh Das
L. No.-723/16
District
Deoghar
GOVT. OF JHARKHAND
064925

उत्पन्न मनीष

(Development Agreement)



एक हजार रुपये
ONE THOUSAND RUPEES
₹.1000
RS.1000

Notarail Kumar
Smt M R Smt

Sanjay Kumar Singh

ATTESTED
828.52
GOV. OF BIHAR
OFFICE OF THE SECRETARY
BIOLOGICAL SERVICES

1. जमीन मालिक :- प्रथम पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारी, पशासक, निषदाक एवं प्रतिनिधि समझे जायें।
इस एकरारनामा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ इस प्रकार होंगे :-

यह कि प्रथम पक्ष उपरोक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला इमारत बनाकर विकसित करना चाहते हैं, किन्तु स्वयं निर्माण करने में असमर्थ होने पर द्वितीय पक्ष जो एक भवन निर्माता (विकासकर्ता) है, जो इस एकरारनामा के द्वारा वह सभी शक्तियाँ प्रदान की जिसके द्वारा द्वितीय पक्ष उपरोक्त जमीन पर आवासीय एवं व्यावसायिक बहुमंजिला भवन बनाकर विकसित कर सकते हैं।

यह कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के चारों ओर आवासीय क्षेत्र है एवं भूखण्ड पर प्रथम पक्ष के अतिरिक्त और किसी का स्वामित्व, हक दखल व कब्जा देवघर से नामान्तरण बाद संख्या 285/1992-93 द्वारा नामान्तरण कराकर हक बुक संख्या-1, पूर संख्या-104 से 109 द्वारा कबाला कराकर अंचल कार्यालय कार्यालय से कबाला संख्या 3085 दिनांक-13.11.1986, लिस्ट संख्या-7/1987


यह कि प्रथम पक्ष का उपरोक्त वर्णित भूखण्ड को देवघर सबरजिस्ट्री अंचल शेष भूगठान करना होता है। जिसका सेंटलमेंट प्लॉट नं-5, टाउन प्लॉट नं-586 वो 587 है। रकबा 60 ही० (26136 वर्गफीट है)

यह कि उक्त भूमि मौजा- बसुवाडीह, थाना-जसीडीह, थाना नं-198 निबंध जसीडीह नोटिफाइड एरिया सीमित वर्तमान बार्ड सं-2 पुराना होडिङ नं-26 का अंश, वर्तमान होडिङ नं-0340000010000A1 जो देवघर नगर निगम के अंतर्गत है जो जमाबंदी नं-29/6ख (2923)क/1 भीमति माला के नाम से दर्ज है। जिसका दखिल खासिल केश नं-285/1992-93 है। अन्तर जमींदारी झारखण्ड सरकार का देवघर से नामान्तरण बाद संख्या 285/1992-93 द्वारा नामान्तरण कराकर हक बुक संख्या-1, पूर संख्या-104 से 109 द्वारा कबाला कराकर अंचल कार्यालय कार्यालय से कबाला संख्या 3085 दिनांक-13.11.1986, लिस्ट संख्या-7/1987

संक्षेप

Smt Mlle

Sanjay Kumar Singh



2. विकासकर्ता :- द्वितीय पक्ष एवं उनके उत्तराधिकारी प्रशासक, निमादक एवं प्रतिनिधि समझी जाये।

3. नया भवन :- उपरोक्त जमीन पर बनने वाले आवासीय बहुमंजिला इमारत या भवन जिसे देवघर नगर निगम के द्वारा स्वीकृत किया गया नये नये के अनुसार बनाया जायेगा।

4. जमीन मालिक का हिस्सा :- उपरोक्त जमीन पर बनने वाले आवासीय/अवसाधिक बहुमंजिला इमारत या भवन के कुल निर्मित क्षेत्र में से 46 (छियालीस) प्रतिशत निर्मित क्षेत्र जमीन मालिक का होगा।

5. विकासकर्ता का हिस्सा :- उपरोक्त जमीन पर बनने वाले अवसाधिक/अवसाधिक बहुमंजिला इमारत या भवन के कुल निर्मित क्षेत्र में से 54 (बाँवन) प्रतिशत निर्मित क्षेत्र विकासकर्ता का होगा।

6. पार्किंग क्षेत्र :- एक/खुला हुआ निर्मित संरक्षित क्षेत्र से होगा जिसे कार अथवा अन्य वाहन खड़े करने के लिए उपयोग में लाया जायेगा एवं जमीन मालिक को अन्य वाहन खड़े करने के लिए उपयोग में लाया जायेगा एवं जमीन मालिक को 46 (छियालीस) प्रतिशत एवं 54 (बाँवन) प्रतिशत विकासकर्ता का हिस्सा होगा।

7. सामान्य क्षेत्र :- आवासीय/अवसाधिक बहुमंजिला इमारत या भवन के निर्मित क्षेत्र में बाँधी रास्ता, लिफ्ट, गैलरी, ट्यूबवेल, पानी का टंकी, सार्वजनिक उपक्रम के निर्माण क्षेत्र :- आवासीय/अवसाधिक बहुमंजिला इमारत या भवन के निर्माण क्षेत्र जिसमें दीवाल, बालकनी, बरामदा, सिंचियाँ, चौकीदार का कमरा, जनरेटर कम इत्यादि से है।

9. प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, सूकान, दंगा, युद्ध इत्यादि से है।

यह कि जमीन मालिक एवं विकासकर्ता के द्वारा इस एकरारनामा के माध्यम से तत्काल प्रभाव से विकासकर्ता को जमीन मालिक उपरोक्त जमीन पर शान्ति पूर्वक देखल दिया एवं उस पर विकासकर्ता को निम्न प्रकार से विकास कर वसूली पर आवासीय/अवसाधिक बहुमंजिला इमारत या भवन बनाने के लिए अधिकृत किया एवं प्रथम पक्ष के प्रस्ताव को मानकर द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित भूखण्ड पर आवासीय/अवसाधिक बहुमंजिला इमारत विकसित करने हेतु निर्माणाखत शर्तों पर तैयार हुए :-

यह कि द्वितीय पक्ष अर्जुनी क में दर्शाये गये भूखण्ड पर आवासीय/अवसाधिक बहुमंजिला इमारत या भवन बनवाने की इच्छा रखते हैं।


Dr. J. K. Singh

NOTARY/REGD. NO.-225/01
30V OF JHARKHAND
NOTARY JHARKHAND (INDIA)

Dr. J. K. Singh

Smt. Malle

Dr. J. K. Singh



Notaral Kumar

14. यह कि अगर अनुसूची 'क' में दर्शाये गये भूमि के स्वामित्व या अधिकारों के उचित दस्तावेज प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष उनके भावी कर्ता के पक्ष में निवहित करेंगे जिसका खर्च द्वितीय पक्ष या भावी कर्ता को वहन करना होगा। अगर
13. यह कि द्वितीय पक्ष के निर्माण संबंधी कर्ता द्वारा उठाये गये अपेक्षाओं आदि के लिए किसी भी स्थिति में प्रथम पक्ष उत्तरदायी नहीं होंगे।
12. यह कि प्रथम पक्ष निर्माण संबंधि या किसी दुर्घटना से संबंधित विवाद के लिए उत्तरदायी एवं देनदार नहीं होंगे।
11. यह कि प्रथम पक्ष किसी भी स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण संबंधी या अपवाय किसी प्रकार के देनदार नहीं होंगे।
10. यह कि प्रथम पक्ष किसी भी स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा उत्तरदायी नहीं होंगे।
9. यह कि इस एकरानामा के सम्पन्न होने के बाद द्वितीय पक्ष छः माह के अंदर नया पास होने के बाद अपने खर्च कर तत्काल कार्य प्रारंभ करेंगे।
8. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को भावी कर्ताओं को प्रस्तावित आवासीय/ व्यवसायिक बहुमंजिला इमारत में से द्वितीय पक्ष के हिस्से 54 (चौवन) प्रतिशत देवने हेतु प्रस्तावित खरीदार से एकरानामा करने एवं अधिम धन प्राप्त कर सकेंगे, किन्तु इसके लिए प्रथम पक्ष जिम्मेवार नहीं होगा।
7. यह कि भवन निर्माता (देवलपर) अनुसूची 'क' में वर्णित भूखण्ड पर अनुसूची 'ग' में वर्णित विशेषताओं के साथ आवासीय/ व्यवसायिक बहुमंजिला भवन को देवल नगर निगम के द्वारा स्वीकृत किये गये नये के अनुसार निर्मित करेंगे।
6. यह कि प्रथम पक्ष विकासकर्ता को उपरोक्त जमीन पर शान्तिपूर्वक नये बहुमंजिला इमारत/भवन के विकास में किसी प्रकार का बाधा या अड़थक न आवे।
5. यह कि प्रथम पक्ष विकासकर्ता को यह भी आश्वासन देते हैं कि उपरोक्त जमीन किया है और न ही इस एकरानामा के देल रहते किसी अन्य से कोई सीमा या एकरानामा करेंगे।

ATTESTED
NOTARY REGD. NO. 2256
GOV. OF JHARKHAND
Notary Jharkhand

NOTARY
Ramesh Das
L. No. 1723/167
District Deoghar
JHARKHAND

Notaral Kumar

Smt Malle

21. यह कि विकासकर्ता इस इकरानामा के निष्पदन के तत्काल बाद उपरोक्त जमीन पर किये जाने वाले निर्माण से संबंधित विज्ञापन को प्रकाशित करे, अपने

कर प्रथम पक्ष द्वारा आतिरिक्त समय लिखित दिया जा सकता।

वाले विनिष् को तय लिख में नहीं जोड़ने के लिए विकासकर्ता से विचार विमर्श

वृद्धमजिला आवासीय/अवसायिक इमारत या मकान के निर्माण कार्य में होने तथा जिस पर विकासकर्ता का कोई वश न चले और उसकी वजह से उपरोक्त आपतकालीन इत्यादि या जैसी कोई भी परिस्थिति में जो प्राकृतिक विपदा हो, 20. यह कि बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन, गुफान, देगा, महामारी, युद्ध, हड़ताल, तालाबंदी,

ऋण प्राप्त कर सकते है।

कैलाशों के क्षेत्र को बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थान के साथ बंधक रखकर 19. यह कि द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के उपरोक्त जमीन पर बने पर्यट को या अपने

संस्थान से अनुसूची क में वर्णित भूखण्ड पर ऋण नहीं लेंगे।

18. यह कि उभय पक्ष एकरानामा की तारीख के बाद किसी भी बैंक/वित्तीय

17. द्वितीय पक्ष मवन निर्माण से संबंधित विजली के कनेक्शन एवं कार्य योजना से


काई आपत्ति नहीं होगी। सक्षम एवं अनुमती ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर का का निर्माण नियमानुसार करा सकते है, इस पर प्रथम पक्ष को किसी तरह का कर सकते है एवं उपरोक्त प्रस्तावित वृद्धमजिला आवासीय/अवसायिक इमारत एवं अनुमती ठेकेदार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर से किसी भी प्रकार का एकरानामा 16. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को यह भी अधिकार देते है कि किसी भी सक्षम

रहेंगे।

15. यह कि मवन संबंधी आवासीय इकाई के हस्तान्तरण के लिए आवश्यक कागजाती को प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कर्तव्य पर निष्पादित करने में तैयार

जिसमें प्रथम पक्ष को भी समान हिस्सा देय होगा।

वृद्धमजिला इमारत में सकारण सुधार होने पर तदनुसृत कार्रवाई कर सकते है कायलिय में प्रस्तुत कर सकते है एवं मजिस्ट्रेट से भी अपार पुन उपरोक्त प्रस्तावित जोड़ने के लिए अपने तथैक से जवाब देना सकते है और संशोधित हुए समन सकते है। प्रस्तावित आवासीय/अवसायिक इमारत में और तब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मवन निर्माण की गुणवत्ता का निर्माण प्रथम पक्ष कर काई पक्ष से संबंधित कोई पक्ष के निर्माण संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार का



Notarial Law 2018

Smt Mera

Sanjay Kumar

लिखकी चौहदी :-

नं-4 जसोडीह नैटिकार्ड एरिया, वर्तमान देवर नगर निगम वार्ड नं-02
(29/6 ख) रकबा 60 डीसी(26136 वर्गफीट), डेलिवा नं-26 का अंश, वार्ड
संतलमट, प्लॉट नं-5, टाउन प्लॉट नं-568 व 587 जसोडीह नं-2923/क
सवडिवजन देवर वी थाना-जसोडीह, मीना-बसुवाडीह, थाना नं-198,
बहुमजिला इमारत द्वितीय पक्ष द्वारा बनाया जाएगा। राज्य झारखण्ड, जिला-देवर,
अनुसूची 'क' (जमीन का विवरण जिस पर प्रस्तावित आवासीय/व्यवसायिक

NOTARIAL
REGD. NO.-2287
2018

रखा कारन के प्राधान के अनुसार होगा।

27. निर्माण कार्य का नक्शा झारखण्ड सरकार के नगर विकास सह-नगर निगम एवं

दोनों पक्ष रखेंगे। दोनों प्रतियाँ मूल मानी जायेंगी।

26. यह कि यह एकरारनामा दो प्रतियाँ में बनायी जायेंगी एवं जिसे एक-एक प्रति

अधीन निष्पादित होगा।

25. इस एकरारनामा से संबंधित किसी प्रकार का मुकदमा देवर न्यायालय के

द्वारा सुनिश्चित करेंगे।

24. यह कि विकासकर्ता एवं जमीन मालिक के बीच इस एकरारनामा के संबंधित

किसी भी विवाद होने में आरक्षित एवं कौन्सिलेशन एक्ट, 1986 के

द्वारा धाराओं के अंतर्गत पचास हजार निपटारा किया जायेंगा, जिसके अंतर्गत

दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष चुनेंगे तथा दोनों पक्ष पंच सहमति से एक अम्पायर

एवं द्वितीय पक्ष प्राप्त किये।

23. यह कि अनुसूची 'क' में वर्णित सम्पत्ति का बसोडी पर्वत, जमीन का मालगुजारी

का भुगतान रसीद की छायाप्रति प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को हस्तगत कर दिये

हिससे के बखल के निर्मित भाग के अनुपात में साभाला खर्च करना होगा।

22. यह कि विकासकर्ता एवं प्रथम पक्ष या उनके विभिन्न हिस्से के खरीदारों को

उक्त नवनिर्मित आवासीय/व्यवसायिक इमारत या मकान की सुरुवात एवं


समूहिक देखभाल के लिए एक समिति का गठन करके उसका सदस्य बनना

होगा तथा रख-रखाव, देखभाल एवं सुरुवात में होने वाले खर्च को अपने-अपने

हिस्से के विभिन्न प्लॉट इत्यादि इच्छुक खरीदारों के साथ अपनी कीमत एवं

Sanjay Kumar - 2018

Smt Mallu



Notarized by _____

NOTARY/REGD. NO. 225/11
GOVT. OF JHARKHAND
ATTESTED
28/5/21

- 16) लिपट : लिपट 6 पृष्ठों पर का प्रत्येक इमारत में एक लिपट।
- 15) टेलिकोन :- टेलिकोन वाइड भी हर फ्लैट में होगा।
- 14) जनरेटर :- जनरेटर सुविधा कॉमन कार्ड के लिए।
- 13) जल आपूर्ति :- चौबीस घंटे जल आपूर्ति अपने बॉरिंग एवं उपरी टैंक से।
- 12) कॉमन :- कॉमन टीवी/एंटीना कनेक्शन हर फ्लैट में। दो जगह- हॉल एवं मास्टर बेडरूम में।
- और बाहर के स्थल के लिए सिमेंट बालकन/टैली के उपर सिमेंट बेसप्लैट होगा।
- किनिशिंग :- सभी अन्दर की दीवार एवं सिनिंग में सिमेंट बालकन/टैली किनिश और बाहर के स्थल के लिए सिमेंट बालकन/टैली के उपर सिमेंट बेसप्लैट होगा।
- 9) इलेक्ट्रिकल्स :- कानिस्लट पीवीसी/पीसी/काँचर काँचरु वाइरिंग स्टैंडर्ड किनिशिंग एवं लॉक प्रूप, बेडरूम, हॉल एवं कोचन के लिस अलग-अलग।
- 8) किचन :- वर्किंग प्लेटफॉर्म में ग्रीनाइट पत्थर, डेबो नैचुरल टाइल्स (2' x 1') स्टेनलेस स्टील सिंक एवं 2 फीट ऊँचाई के साथ।
- 7) बाथरूम सिरामिक :- नैचुरल टाइल्स 7 फीट ऊँचाई तक झरना बस बेसिन एवं डेबो गर्म पानी नल की व्यवस्था के साथ (गीजर लगाने का प्रावधान)
- 6) लिडकी :- तीन टैंक एल्यूमिनियम (दो क्वालिटी) कम एवं तीन क्लॉडिंग पैनल एवं लिडकी नल की साथ न्यूनतम साइज (2' x 1')
- 5) दरवाजा :- मोड्युलर या मोल्डेड प्लग जोर 32 एमएम मोटा पराईमर और हाई एवं दो कोटिंग के साथ।
- 4) छत :- टीएमएनटी ISI Marka (टाला लिन्साल, सैल, आदि नामी कम्पनी का)
- 3) प्लम्बर एवं फ्लोरिंग :- 6 एमएम 1:6 ग्रीक वर्क पर और 1:6 अरॉस्ती/पीसी/काँचरु एवं फ्लोरिंग का गार्डिड टाइल्स प्लोर पर।
- 2) प्लम्बर एवं फ्लोरिंग :- 6 एमएम 1:6 ग्रीक वर्क पर और 1:6 अरॉस्ती/पीसी/काँचरु एवं फ्लोरिंग का गार्डिड टाइल्स प्लोर पर।



Notarized by _____


Smt Mallu

ULTRATECH) सिमेंट
आरॉस्ती/पीसी/काँचरु स्ट्रक्चर 1:2.3 लाल इंट (विमनी) का
मसाले 1:6 (ACCLAFARGE/AMBUMA/KONARKI)

Signature (mirrored)


12/4/2020
Ramesh Das
District Deoghar Jharkhand
NOTARY

12/4/2020
The Deponent Solely affirmed and declared on Oath that the above statements are true to his/her knowledge and beliefs as are recorded by Advocate Civil Court Deoghar Jharkhand



ATTESTED
NOTARY REGD. NO. 1234
GOVT. OF JHARKHAND

12-4-20
Signature
Signature



Signature
Signature

Signature

16/1
Plaka w/o Niranpendra Kumar Singh A. Pasu wachh us. for...